छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 140/2007 एवं
अपील प्रकरण क्रमांक 141/2007

श्री आर.एस. चतुर्वेदी,
एच 2/3, विकास नगर कालोनी,
कुददुण्ड, जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
अपर आयुक्त आबकारी,
आबकारी आयुक्त कार्यालय
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 11 सितम्बर 2007)

श्री आर.एस. चतुर्वेदी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(3) के अंतर्गत आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। अपने अपील आवेदन पत्र में अपीलार्थी ने उल्लेख किया है कि उसके द्वारा दिनांक 27–12–2005 एवं 13–01–2006 को जन सूचना अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, सरगुजा से जानकारी हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था। उसके द्वारा आवेदन–पत्र दिनांक 27–12–2005 के द्वारा 10 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई थी, जिसमें स्व0श्री अनिल चतुर्वेदी, आरक्षक की मृत्यु के पश्चात् जी0आई0एस0 योजना के संबंध में नामिनेशन तथा नामांकन होने पर उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र, देय जी0आई0एस0, ग्रेच्युटी आदि पर शासकीय अभिभाषक की राय नामांकन पर भुगतान प्राप्त करने के संबंध में धारा–80 सी0पी0सी0 के नोटिस पर लिये गये निर्णय एवं आवेदन–पत्र दिनांक 13–01–2006 के द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र के संबंध में भेजा गया प्रस्ताव, कलेक्टर का आदेश, शासकीय अभिभाषक का अभिमत की प्रति, श्रीमती स्नेहलता द्वारा दीवानी दावा, उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी होने पर आबकारी अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश की प्रति, श्रीमती स्नेहलता के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिये दिये गये आवेदन एवं उस पर विभाग द्वारा लिये गये निर्णय आदि की जानकारी चाही थी। अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र में उल्लेख किया कि उसे आवेदन–पत्र दिनांक 13–01–2006 में से केवल बिन्दु क्रमांक–11 की ही जानकारी प्राप्त हुई हैं। उसके द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। आबकारी आयुक्त ने अपील अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील आयोग में प्रस्तुत की गई है। प्रकरण क्रमांक–140 एवं 141 की विषय–वस्तु लगभग समान होने से दोनों प्रकरणों को एक साथ विचार किया गया है तथा आदेश पारित किया जा रहा है।

2/ आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, सरगुजा एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया तथा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत जवाब, अभिलेखों एवं तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसके

द्वारा जो जानकारी माँगी गई, उसे डाक से विभाग के द्वारा भेज दी जाना चाहिये थी, उसके लिये उसे कार्यालय में बुलाये जाने की आवश्यकता नहीं थी। जन सूचना अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, सरगुजा के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि श्री अनिल चतुर्वेदी की मृत्यु के उपरांत उनके क्लेम का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के आदेश दिनांक 21–06–2005 के अनुसार किया जा रहा है। अपीलार्थी को अभिलेख देने से मना नहीं किया गया है। अपीलार्थी को यह सूचित किया गया था कि वे स्वयं उपस्थित होकर अभिलेखों का अवलोकन कर लें तथा सूची प्रस्तुत करें ताकि उन्हें अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ दी जा सके, किन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुये। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपने मौखिक तर्कों में यह स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी के दोनों आवेदन–पत्रों में लगभग एक ही विषय–वस्तु से संबंधित जानकारी चाही गई थी तथा आवेदन अस्पष्ट थे, अतः आवेदन को स्पष्ट करने की दृष्टि से कि वास्तव में अपीलार्थी क्या अभिलेख चाहता है। अपीलार्थी को अभिलेखों का अवलोकन करने के लिये सूचित किया गया था ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में अपीलार्थी किन अभिलेखों की जानकारी चाहता है। जन सूचना अधिकारी ने यह भी बतलाया कि उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही स्व0 अनिल चतुर्वेदी के प्रकरण में कार्यवाही की गई है।

3/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के आवेदन–पत्र दिनांक 27–12–2005 एवं 13–01–2006 में बिन्दुवार जानकारी चाही गई हैं और दोनों ही आवेदन–पत्र में कई बिन्दु लगभग एक से हैं। प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि दोनों आवेदन पत्रों में यद्यपि अपीलार्थी की भाषा स्पष्ट नहीं है तथा इन्हीं बिन्दुओं पर अपीलार्थी ने जानकारी न मांगकर अभिमत भी दिया है, किन्तु आवेदन पत्र के बिन्दुओं में विभागीय अभिलेखों के अनुसार जानकारी अपीलार्थी को दी जा सकती थी। आवेदन–पत्र दिनांक 27–12–2005 में कलेक्टर को उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र भेजा गया प्रस्ताव तथा कलेक्टर का निर्णय, उपायुक्त आबकारी एवं संयुक्त संचालक कोष का मार्गदर्शन, शासकीय अभिभाषक की राय, सर्विस रूल्स के प्रावधान आदि की जानकारी दी जा सकती थी। इसी प्रकार आवेदन पत्र दिनांक 13–01–2006 में शासकीय अभिभाषक की राय श्रीमती स्नेहलता के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु दिये गये आवेदन, एवं विभाग के निर्णय की प्रति, आबकारी आयुक्त के द्वारा दिये गये आदेश की प्रति, जी0आई0एस0 योजनांतर्गत देय राशि के संबंध में लिया गया निर्णय आदि की जानकारी जन सूचना अधिकारी के द्वारा दी जाना चाहिये थी। प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने भी अपने आवेदन में चाही गई जानकारी को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया था। जन सूचना अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को अभिलेखों के अवलोकन करने के लिये नोटिस भी भेजा गया, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुये। अपीलार्थी का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर अथवा षडयंत्रपूर्वक उसे जानकारी नहीं दी गई। क्योंकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा उन्हें सम्पूर्ण अभिलेख देखने हेतु नोटिस भेजा गया था, इससे स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी को जानकारी दिये जाने में आपत्ति नहीं थी। अतः जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है। जन सूचना अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, सरगुजा को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर दोनों आवेदन–पत्रों

दिनांक 27—12—2005 एवं 13—01—2006 के द्वारा बिन्दुवार जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान करें। जिन बिन्दुओं पर अपीलार्थी ने स्वयं का अभिमत दिया है, उसके संबंध में अपीलार्थी को विभागीय अभिमत यदि अभिलेख में उपलब्ध है तो उसकी प्रति प्रदान की जावे। चूँकि विभाग के द्वारा अपीलार्थी को जानकारी न दिये जाने से अपीलार्थी को मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा—19(8)(ख) के अंतर्गत विभाग की ओर से 500/—रुपये (250/—रुपये प्रति प्रकरण के मान से) की क्षतिपूर्ति दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

4/ प्रकरण क्रमांक—140 एवं 141 समान प्रकृति का होने के कारण आदेश एक साथ पारित किया जा रहा है।

5/ अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त